

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक पाली 66 / 2004-2005

यह प्रमाणित किया जाता है कि नारायण विकास

संस्था न. सुमेरुपुर जिला पाली का

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या

28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज

दिनांक 11/11/11 माह अक्टूबर सन् दो हजार चार

को पाली में दिया गया।

(जी. जी. भादव)
रजिस्ट्रार संजयपुर

पाली-नारायण (राज)